

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-05/2025 श्र0सं0- 2555

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

श्रम अधीक्षक, शेखपुरा।

पटना, दिनांक- 19/05/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघुशीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26, उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) एवं मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत **CFMS2.0 Software** से आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत CFMS2.0 Software से राशि आवंटित की गई है।

2. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए- ₹3,000/-की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु :-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103.21.01) से 2300/- राशन एवं 500/- वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0103.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0103.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/चास्ता हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा	03	8400	300	300	9000	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा का पत्रांक-337/07.05.2025 के आलोक में।



3. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए ₹ 3,000/-की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु : -

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0104.21.01) से 2300/- राशन एवं 500/- वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0104.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0104.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा	06	16800	600	600	18000	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा का पत्रांक-337/07. 05.2025 के आलोक में।

4. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2244 दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में “बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना” अनुदान की राशि ₹3000/- (तीन हजार) एवं ₹5000/- (पाँच हजार) मात्र, प्रति विमुक्त बाल श्रमिक की दर से भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।

5. बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।

7. इस आवंटित राशि से, किसी भी परिस्थिति में, अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।

8. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।

10. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

11. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापंक: 6/एफ1-05/2025 श्र0सं0- 2555

पटना, दिनांक- 19/05/2025

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार तथा उप कोषागार पदाधिकारी/ संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें।

विश्वरूपमान

(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।

